न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 29 / 2015

बउनवान

1. लटूर पुत्र कजोड, जाति भील आयु 60 साल, निवासी कोटडा
2. बनवारी पुत्र कजोड, जाति भील आयु 45 साल निवासी कोडा, तहसील बारां जिला बारां (राज0) (अपीलांट्स)

बनाम

1. नेनगा पुत्र सरदार आयु 70 साल जाति भील निवासी किशनपुरा, तहसील पीपल्दा
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 78 दिनांक 14.11.1977 ग्राम कोटडा, तहसीलदार बारां
अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाडा एडवोकेट (अपीलांट्स)
2. श्री मोहम्मद रफीक कुरैशी एडवोकेट (रेंस्पोडेंट)

निर्णय दिनांक 21.07.2022

अपीलांट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 ग्राम किशनपुरा अनुसार रेस्पोडेन्ट नं. 1 नेनगा कजोड का पुत्र नही हैं नेनगा के पिता का नाम सरदार है तथा किशनपुरा का निवासी है। नेनगा का नाम इन्तकाल नं. 78 के जरिये गलत रूप से अपीलान्टस के पिता के खाते की आराजियात में दर्ज करवा लिया है। ग्रामवासी पंचान द्वारा भी इस बात का पंचनामा बनाकर अपीलान्टस को दिया है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा ग्राम कोटडा में आकर अपीलान्टस से कब्जे की भूमि में जबरन कब्जा करने का प्रयास करने व समझाने के बाद भी यह धमकी दी है कि वह अपीलान्टस उसका नाम खाते से हटवा देवे अन्यथा खाते में नाम होने पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 कब्जा करके ही रहेगा। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल नं. 78 ग्राम कोटडा तहसील बारां जिला बारां को निरस्त फरमाया जावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट्स [illegible] में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2070–207[illegible] ग्राम [illegible]नपुरा अनुसार रेस्पोडेन्ट नं. 1 नेनगा कजोड का पुत्र नही हैं ने[illegible] है तथा किशनपुरा का निवासी है। नेनगा का नाम इन्तकाल नं. 78 के जरिये [illegible] रूप से अपीलान्[illegible] पिता के खाते की आराजियात में दर्ज करवा लिया है। ग्र[illegible]ासी पंचान द्वारा भी [illegible] का पंचनामा बनाकर अपीलान्टस को दिया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल नं. 78 ग्राम कोटडा तहसील बारां जिला बारां को निरस्त फरमाया जावें।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:45 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने कथन किया कि गलत नाम दुरूस्त कराये जाने हेतु दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के यहां प्रकरण संख्या 73/2015 बउनवान नेनगा बनाम लटूर वगै0 अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आरटीएक्ट नेनगा पुत्र सरकार के लिए दुरूस्ती हेतु विचाराधीन है। यदि नामान्तकरण खारिज हो गया तो दावे का क्या होगा। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने फर्द के साथ उपखण्ड न्यायालय बारां मे विचाराधीन दावे की छायाप्रतियां प्रस्तुत की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2038–57 के अनुसार विवादित आराजीयात नेनगा, लटूर, बनवारी पिसरान कजोड व भूली बेवा कजोड की खातेदारी में दर्ज है। पूर्व में उक्त आराजी मुतातिक जमाबन्दी सम्वत् 2031–34 कजोड की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि का नामान्तकरण जरिए नामान्तकरण संख्या 78 दिनांक 14.11.1977 को मृतक कजोड के स्थान पर नेनगा, लटूर, बनवारी वल्द कजोड व भूली बेवा कजोड के नाम दर्ज किया गया जिस पर यह अपील पेश की गयी है। अपील के अनुसार नेनगा रेस्पोटेन्ट कजोड का पुत्र नही होकर सरदार का पुत्र है। जिसके समर्थन में अपीलांट द्वारा ग्राम किशनपुरा की जामबन्दी सम्वत् 2070–73 पेश की है, जिसके अनुसार आराजी खसरा नं. 249/37 रकबा 1.13 है. पर गैर खातेदार नेनगा पुत्र सरदार अंकित है। परन्तु इससे यह साबित नही होता कि नेनगा वही व्यक्ति है जिसके नाम नामान्तकरण संख्या 78 खोला गया है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट द्वारा परिवार राशन कार्ड व इकरारनामे की प्रति भी पेश की गई है, जिसमें नेनगा का कजोड के पुत्र के रूप नाम दर्ज है। पक्षकारान के मध्य न्यायायलय उपखण्ड अधिकारी, बारां में एक घोषणा का वाद भी विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 26.12.2018 को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पक्षकारान को पाबन्द किया गया है। नामान्तकरण एक फिस्कल कार्यवाही है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत विधि दृष्टांत आरबीजे (13) 2006 पृष्ठ संख्या 366 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर बउनवान सीताराम पुत्र मंगलाराम बनाम भैरू पुत्र श्री किशन के अनुसार भी जब पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है तो नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिए।

अतः चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में नेनगा का सरदार का पुत्र होना पूर्णतः साबित नही होता है, तथा पक्षकारान के मध्य नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन है। जिसमें पक्षकारान के अधिकार तय होंगे।

अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार, बारां को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार [illegible] निर्णयानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:45 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां